

# राज्य के ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) के कर्मचारियों की क्षमता निर्माण का प्रस्ताव

Committee on Public & Government Financial Management <cpf.aslb@icai.in>

Tue 2022-03-29 12:19

To: secy-panchayat-bih@nic.in <secy-panchayat-bih@nic.in>

Cc: NAMRATA KHANDELWAL- ICAI\CPF&GA\ P MARG DELHI <namrata.khandelwal@icai.in>; Committee on Public & Government Financial Management <cpf\_ga@icai.in>

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया अनुगामी ई-मेल देखें और सक्षम प्राधिकारी के विचारार्थ प्रस्तुत करें।  
आपसे अनुरोध है कि कृपया अपनी शीघ्र सुविधा के अनुसार उत्तर दें।

With Kind Regards,

Secretariat,  
Committee on Public & Government Financial Management,  
The Institute of Chartered Accountants of India,  
"ICAI Bhawan", A-29,  
Sector 62, Noida  
Secretariat Ph. No.: 0120-3045985



Website: <http://www.icai.org/>

For help/query, use e-Sahaayataa - <http://help.icai.org/>

Follow ICAI on Social Media - <http://www.icai.org/followus/>



"Save Paper... Save Tree... Save the Planet..."

**From:** Committee on Public & Government Financial Management

**Sent:** Monday, March 14, 2022 15:09

**To:** secy-panchayat-bih@nic.in <secy-panchayat-bih@nic.in>

**Cc:** NAMRATA KHANDELWAL- ICAI\CPF&GA\ P MARG DELHI <namrata.khandelwal@icai.in>; Committee on Public & Government Financial Management <cpf\_ga@icai.in>

**Subject:** राज्य के ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) के कर्मचारियों की क्षमता निर्माण का प्रस्ताव

आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय / महोदया,  
पंचायती राज विभाग  
बिहार

**विषय:** राज्य के ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) के कर्मचारियों की क्षमता निर्माण का प्रस्ताव

भारत का आर्थिक विकास मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है क्योंकि भारत दो तिहाई ग्रामीण आबादी वाला देश है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को नागरिकों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिकार सौंपकर उन्हें सशक्त बनाया। RLB को हस्तांतरित की जा रही निधि की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक व्यय की प्रभावी निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली का होना आवश्यक है, जो व्यय से सृजित संपत्ति और योजना से लेकर गतिविधि के सभी पहलुओं को रिकॉर्ड करता है। XV वित्त आयोग ने अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तर की शर्त के रूप में पिछले वर्ष के अलेखापरीक्षित वार्षिक खातों और पिछले वर्ष से पहले वर्ष के लेखा परीक्षित खातों की ऑनलाइन

उपलब्धता की सिफारिश की है। जैसा कि इसमें उल्लेख किया गया है, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बाहरी एजेंसियों द्वारा खातों की लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक व्यय, 40% असंबद्ध अनुदान से वहन किया जा सकता है।

## ICAI की भूमिका:

ICAI अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च निकाय है। ICAI भारत में RLB सहित विभिन्न सरकारी संस्थाओं/ विभागों में चल रहे लेखांकन सुधारों और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में सुधार में भी शामिल है। ICAI की देश के tier I और II शहरों में 160 से अधिक शाखाएं हैं।

CP&GFM के माध्यम से ICAI विभिन्न कार्यशालाओं/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके, लेखांकन सुधारों के लाभों के बारे में बड़े पैमाने पर संबंधित अधिकारियों और समाज को संवेदनशील बनाने में भी शामिल है। इस दिशा में विकसित व्याख्यान <http://icaitv.com/category/local-bodies> पर उपलब्ध हैं।

चूंकि सरकार के अनुदान को RLB में वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रबंधन में सुधार से जोड़ा गया है, इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (आभासी या भौतिक) के माध्यम से अपने कर्मचारियों की क्षमता का निर्माण करने की आवश्यकता है। इस दिशा में CP&GFM, ICAI **ग्रामीण भारत/पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए 'ग्रामीण स्थानीय निकायों में ई-गवर्नेंस, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग' के संदर्भ में RLB कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम / वेबिनार आयोजित करने के लिए प्रस्ताव दे रहा है।**

इन क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को विशेष रूप से संरचित किया जाएगा ताकि प्रतिभागियों को लेखांकन और लेखा परीक्षा प्रणाली के संबंध में अपने ज्ञान को - बेहतर करने, ई-वातावरण में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने का अवसर प्रदान किया जा सके (PRIASoft/ e-GramSwaraj, Auditoronline)। इस तरह के कार्यक्रम विभिन्न पंचायतों/ RLB के अनुभव साझा करने के लिए एक मंच के रूप में भी काम करते हैं। संलग्न अनुलग्नक को विस्तृत प्रस्ताव के लिए संदर्भित किया जा सकता है। कर्मचारियों की विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम संरचना को पारस्परिक रूप से अंतिम रूप दिया जा सकता है। ऐसे कार्यक्रम/वेबिनार जिला और ब्लॉक पंचायतों के स्तर पर या क्षेत्रीय भाषा में भी आयोजित किए जा सकते हैं।

विभिन्न राज्यों में यह देखा गया है कि पंचायतों में अनिवार्य डेटा प्रविष्टि/रिकॉर्डिंग नहीं की जा रही है। ICAI इसके द्वारा प्रस्ताव करता है कि पंचायतें वित्तीय साक्षरता, पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में आपकी यात्रा में योगदान करने के लिए डेटा प्रविष्टि आदि के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट/फर्मों को नियुक्त करने पर विचार कर सकती हैं।

हमें उम्मीद है कि यह पहल RLB में मजबूत और पारदर्शी लेखा ढांचे के लिए एक गुणवत्ता संरचना स्थापित करने में मदद करेगी।

हमें इस संबंध में आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। हमें उम्मीद है कि इस सहयोग से स्थानीय निकायों और समाज को बड़े पैमाने पर लाभ होगा।

धन्यवाद।

सादर,

सीए केमिशा सोनी  
अध्यक्ष  
सार्वजनिक और सरकारी वित्तीय प्रबंधन समिति

सीए श्रीधर मुप्पला,  
उपाध्यक्ष

सचिवालय: 0120-3045985

ई-मेल: [cpf.aslb@icai.in](mailto:cpf.aslb@icai.in); [cpf\\_ga@icai.in](mailto:cpf_ga@icai.in)

संलग्नक: ऊपरोक्त अनुसार



Website: <http://www.icai.org/>

For help/query, use e-Sahaayataa - <http://help.icai.org/>

Follow ICAI on Social Media - <http://www.icai.org/followus/>



**"Save Paper... Save Tree... Save the Planet..."**

<p><b>ग्रामीण स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव</b></p>	<p><b>Proposal for jointly organising training programmes for staff of Rural Local Bodies</b></p>
<p><b>प्रशिक्षण का विषय:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ सशक्त ग्रामीण भारत/पंचायतों की ओर</li> </ul>	<p><b>Theme of the Training:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Towards Empowered Rural India/Panchayats</li> </ul>
<p><b>प्रशिक्षण की अवधि:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ एक दिन/दो दिन</li> </ul>	<p><b>Duration of the Training:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ One Day/Two Days</li> </ul>
<p><b>लक्षित प्रतिभागी:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायतों के प्रतिनिधि/कर्मचारी (प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों को राज्य/संबंधित पंचायत या ग्रामीण विभाग द्वारा पहचाना और सुझाया जा सकता है)</li> </ul>	<p><b>Targeted Participants:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Representatives/staff of Rural Local Bodies/Panchayats (Participants for the training programme may be identified and suggested by the State/ respective panchayat or rural department)</li> </ul>
<p><b>प्रतिभागियों की संख्या:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ न्यूनतम 50 प्रतिभागी</li> </ul>	<p><b>No. of participants:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Minimum 50 participants</li> </ul>
<p><b>प्रशिक्षण पद्धति:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ प्रशिक्षण एक संवादात्मक रूप में आयोजित किया जाता है और इसमें कई केस स्टडी शामिल हैं।</li> <li>○ प्रशिक्षण प्रतिभागियों को पृष्ठभूमि सामग्री और संकायों के PPT भी प्रदान किए जाते हैं।</li> </ul>	<p><b>Training Methodology:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Training is conducted in an interactive form and includes a number of case studies.</li> <li>○ Training participants are provided the background materials and also the PPTs of the faculties.</li> </ul>
<p><b>संकाय:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ पंचायतों के लेखा और लेखा परीक्षा, लेखा सॉफ्टवेयर आदि के क्षेत्र में प्रासंगिक अनुभव रखने वाले पेशेवर विशेषज्ञ शामिल हैं।</li> </ul>	<p><b>Faculty:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Faculty comprises of professional experts having relevant experience in the field of accounting and auditing of panchayats, accounting softwares, etc.</li> </ul>

प्रशिक्षण के लिए संभावित विषयों की सूची:	List of tentative topics for the Training:
1. पंचायतों के लिए लेखांकन <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ आवश्यकताएँ</li> <li>▪ लाभ</li> <li>▪ आगे का रास्ता</li> </ul>	1. Accounting for Panchayats <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Requirements</li> <li>▪ Benefits</li> <li>▪ The way forward</li> </ul>
2. संबंधित राज्य की पंचायतों में लेखा और लेखा परीक्षा प्रणाली <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ मौजूदा लेखा और लेखा परीक्षा प्रणाली का विश्लेषण</li> <li>▪ गैप विश्लेषण</li> <li>▪ संभावित समाधान</li> </ul>	2. Accounting and Auditing System in Panchayats of respective State <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Analysis of existing accounting and auditing system</li> <li>▪ Gap Analysis</li> <li>▪ Possible solutions</li> </ul>
3. ई-गवर्नेंस प्रणाली - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के माध्यम से पंचायतों को सुदृढ़ बनाना <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (MMP) का अवलोकन</li> <li>▪ ई-पंचायत MMP के तहत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन</li> <li>▪ पंचायतों में ई-गवर्नेंस प्रणाली का क्रियान्वयन - मुद्दे और चुनौतियाँ</li> </ul>	3. E-Governance System - Strengthening Panchayats through Information and Communication Technology (ICT) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Overview of e-Panchayat Mission Mode Project (MMP)</li> <li>▪ Software applications under e-Panchayat MMP</li> <li>▪ Implementation of e-governance system in panchayats - issues and challenges</li> </ul>
4. पंचायतों का लेखा सॉफ्टवेयर (PRIASoft) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PRIASoft में विवरण कैसे जमा करें और PRIASoft से रिपोर्ट कैसे तैयार करें</li> <li>▪ PRIASoft का प्रभावी क्रियान्वयन</li> <li>▪ ई-वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ PRIASoft का एकीकरण</li> <li>▪ PRIASoft का ऑडिट</li> </ul>	4. Accounting Software of Panchayats (PRIASoft) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ How to submit details in PRIASoft and generate reports from PRIASoft</li> <li>▪ Effective implementation of PRIASoft</li> <li>▪ Integration of PRIASoft with e-Financial Management System</li> <li>▪ Audit of PRIASoft</li> </ul>
5. ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ योजनाओं के लिए एक समान लेखा रिपोर्टिंग प्रणाली की आवश्यकता</li> </ul>	5. Effective implementation of Government schemes in rural areas <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Requirement of uniform accounting reporting system for schemes</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और योजना निधियों के उपयोग के लिए लेखा परीक्षा</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Audit for effective implementation of scheme and utilisation of scheme funds</li> </ul>
<p>6. पंचायतों में संपत्ति प्रबंधन</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>मौजूदा परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली</li> <li>राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका</li> </ul>	<p>6. Asset Management in Panchayats</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Existing asset management system</li> <li>National Asset Directory</li> </ul>
<p>7. माल और सेवा कर (GST)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>सिंहावलोकन</li> <li>प्रयोज्यता</li> <li>अनुपालन आवश्यकताएं</li> </ul>	<p>7. Goods and Service Tax (GST)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Overview</li> <li>Applicability</li> <li>Compliance requirements</li> </ul>
<p>8. स्रोत पर आयकर और कर कटौती (TDS)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>आयकर और TDS का अवलोकन</li> <li>पंचायतों के लिए प्रासंगिक लागू प्रावधान</li> <li>अनुपालन आवश्यकताएं</li> </ul>	<p>8. Income Tax &amp; Tax Deducted at Source (TDS)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Overview of Income Tax and TDS</li> <li>Relevant applicable provisions for panchayats</li> <li>Compliances requirements</li> </ul>
<p>9. पंचायतों को सशक्त बनाना : राजस्व में वृद्धि</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>आयात निर्यात कोड</li> <li>फार्म टू कंज्यूमर (ई-कॉमर्स)</li> <li>जैविक प्रमाणन</li> <li>विस्तार को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं</li> </ul>	<p>9. Empowering Panchayats : Augmenting Revenue</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Import Export Code</li> <li>Farm to Consumer (e-Commerce)</li> <li>Organic Certification</li> <li>Schemes to promote exp</li> </ul>
<p><b>वित्तीय सम्भावनाएं:</b></p> <p>➤ शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के मामले में, व्यय राज्य सरकार/संबंधित पंचायत या ग्रामीण विभाग और ICAI द्वारा संयुक्त रूप से वहन किया जा सकता है जैसा कि नीचे सुझाया गया है:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ICAI द्वारा वहन की जाने वाली लागत: <ul style="list-style-type: none"> <li>संकाय के TA/DA खर्च</li> <li>संकाय को मानदेय</li> <li>प्रतिभागियों के लिए पृष्ठभूमि सामग्री</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Financial Implications:</b></p> <p>➤ In case of physical training programme, expenditure may be borne jointly by State Government/ respective panchayat or rural department and ICAI as suggested below:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cost to be borne by ICAI: <ul style="list-style-type: none"> <li>TA/DA expenses of Faculty</li> <li>Honorarium to Faculty</li> <li>Background material for participants</li> </ul> </li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ राज्य सरकार/संबंधित पंचायत या ग्रामीण विभाग द्वारा वहन की जाने वाली अन्य रसद व्यवस्था के संबंध में लागत।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Cost with regard to other logistic arrangements to be borne by the State Government/ respective panchayat or rural department.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ आभासी प्रशिक्षण कार्यक्रम के मामले में राज्य सरकार/संबंधित पंचायत या ग्रामीण विभाग पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसमें मंच से संबंधित सभी लागत और संकायों को मानदेय ICAI द्वारा वहन किया जाएगा।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ In case of virtual training programme, there shall be no financial implications on State Government/ respective panchayat or Rural Department. In that case, all the cost pertaining to platform and honorarium to faculties shall be borne by the ICAI.</li> </ul>